



मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2016-2017



भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
2017



मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2016-17



विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

मध्यप्रदेश शासन

मंत्रालय

विभाग

मंत्री, राजस्व

प्रमुख सचिव

सचिव

अपर सचिव

उप सचिव

राजस्व विभाग

श्री उमाशंकर गुप्ता

श्री अरूण पाण्डेय

श्री जी. पी. श्रीवास्तव

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री रवि डफरिया

श्रीमती किरण मिश्रा

श्रीमती भारती ओगरे

श्रीमती उर्मिला शुक्ला

सुश्री सुमन रायकवार

श्री एन. पी अहिरवार

श्रीमती मंदा राठौर

अवर सचिव

विभागाध्यक्ष

राहत आयुक्त

प्रमुख राजस्व आयुक्त

आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री

श्री अरूण पाण्डेय

श्री के. के. खरे

डॉ. एम. के. अग्रवाल

श्री के. के. खरे

अनुक्रमणिका

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1	प्रमुख राजस्व आयुक्त	1-2
2	प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय स्थापना की जानकारी	2-3
3	प्रमुख राजस्व आयुक्त—वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति.	3-4
4	आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त कार्यालय	5-20
5	नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग	21-23
6	कार्यालय राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश	24-26
7	लोक सेवा प्रबंधन विभाग	27-34
8	राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	35-38
9	राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (वित्तीय वर्ष 2016-17)	39-40
10	सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र	41-43

प्रमुख राजस्व आयुक्त

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-425-12-1-2014-सात-(4बी) दिनांक 15 फरवरी 2011 के द्वारा राजस्व प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन एवं इसे सुव्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की नितान्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा भोपाल में “प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय” की स्थापना की गई है जो वर्तमान में प्रथम तल, राहत भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में संचालित है।

2. राज्य शासन द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

3. प्रशासनिक दक्षता एवं जनसामान्य की सेवाओं को सुगम बनाने के लिये प्रमुख राजस्व आयुक्त को निम्नानुसार शीर्षों के अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रदत्त सामान्य अधिकारों के अनुरूप समुचित अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। तदनुसार निम्न कार्य प्रमुख राजस्व आयुक्त के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किये जावेंगे :—

1. तहसीलदार / नायब तहसीलदार स्थापना, सामान्य नियंत्रण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति एवं स्थानान्तरण आदि।
2. संभाग आयुक्त, कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना।
3. बजट संबंधी कार्य व बजट प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना।
4. नजूल भूमि एवं जारी किये गये स्थायी पट्टों, अनुज्ञप्तियों, बेदावा करारों आदि का विवरण संधारित करना, प्रीमियम एवं भू-भाटक का निर्धारण, उगाही एवं वसूली तथा अभ्यावेदनों की सुनवाई एवं निराकरण।
5. भू-अर्जन, विभिन्न वृहद् एवं लघु परियोजनाओं के लिये सड़कों आदि एवं अन्य लोक प्रयोजनों के लिये निजी भूमि सीमा के अर्जन की अनुमति।
6. नगरीय भूमि सीमा अधिनियम के अभाव में शासनहित में प्राप्त शहरी रिक्त भूमियों से आय / आवंटन।
7. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अभाव में प्राप्त अतिशेष भूमियों का आवंटन आदि।
8. निजी भूमियों का कृषि भिन्न प्रयोजनों में व्यपवर्तन, प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारण।
9. भू-राजस्व उगाही एवं वसूली।
10. आदिम जनजाति के भू-स्वामियों का हित संरक्षण।
11. राजस्व भूमियों से वृक्षों की कटाई का विनियमन।
12. निस्तार भूमि तथा चरनोई, बाजार हाट आदि की भूमियों की व्यवस्था।
13. राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों का प्रदाय आदि।
14. राज्य के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के लिये विभागों / संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराना।
15. विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों / नियमों / विनियमों / अनुदेशों आदि के समय-समय पर आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

16. विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विधियों तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों में विभागाध्यक्ष.
17. लोकसभा, राज्य सभा, विधान सभा, महालेखाकार से संबंधित कार्यवाही.
18. अन्य कार्य जो समय-समय पर शासन द्वारा सौंपे जावेंगे.

प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय—स्थापना की जानकारी

नोट.—प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय का नवीन सैटअप स्वीकृत नहीं हुआ है, व्यवस्था निम्नानुसार की गई है.

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	पुनर्वास विभाग द्वारा रिडिप्लाय	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रमुख राजस्व आयुक्त	0	0	0	0	प्रमुख राजस्व आयुक्त
2	संयुक्त राजस्व आयुक्त (अपर कलेक्टर स्तर)	3	0	3	0	1. संयुक्त राजस्व आयुक्त, भा.प्र.से. के 1 एवं रा.प्र.से. के 1 उप राजस्व आयुक्त. 2. रा.प्र.से. के 1 संयुक्त राजस्व आयुक्त (निलंबित के निर्वाह भत्तों का आहरण)
3	उप राजस्व आयुक्त (संयुक्त कलेक्टर स्तर)	3	0	3	0	2 रा.प्र.से. उप राजस्व आयुक्त एवं 1 उपायुक्त, वित्त सेवा.
4	सहायक राजस्व आयुक्त (तहसीलदार)	0	0	5	1	1. मंत्रि परिषद् निर्णयानुसार 06 तहसीलदार, सहायक राजस्व आयुक्त पदस्थ होंगे. इनमें से 1 पद पर रा.प्र.से. उप राजस्व आयुक्त तथा 4 सहायक राजस्व आयुक्त कार्यरत.
5	प्रोग्रामर	2	0	0	2	—
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-लिपिक.	5	0	3	2	3 सहायक ग्रेड-3 कार्यरत
7	सहायक पुनर्वास अधिकारी	0	1	0	1	—
8	अधीक्षक	0	1	1	0	—
9	हेड असिस्टेंट	0	1	1	0	वरिष्ठ सहायक ग्रेड-3 कार्यरत
10	लेखापाल	0	2	2	0	2 सहायक ग्रेड-2 कार्यरत
11	सहायक ग्रेड-2	0	1	1	0	—
12	तकनीकी सहायक	0	1	1	0	सहायक ग्रेड-2 कार्यरत
13	सहायक ग्रेड-3	0	2	2	0	—
14	कैशियर	0	2	2	0	2 सहायक ग्रेड-3 कार्यरत
15	टायपिस्ट	0	1	1	0	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	हेड मिस्त्री	0	2	2	0	2 सहायक ग्रेड-3 कार्यरत
17	पैकिंग असिस्टेन्ट	0	1	1	0	सहायक ग्रेड-3 कार्यरत
18	वाहन चालक	0	1	1	0	—
19	जमादार	0	1	0	1	—
20	भृत्य	0	2	2	0	—
21	चौकीदार	0	1	1	0	वाल्मी से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
22	क्लीनर	0	1	0	1	—
योग :		13	21	32	8	

प्रमुख राजस्व आयुक्त
वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति
(जानकारी माह जनवरी, 2017 तक की स्थिति)

(आंकड़े हजार रुपयों में)

स. क्र.	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	कुल व्यय (जिलों को आवंटित)	शेष आवंटन	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	08	2053	0441—आदेशिका वाहन स्थापना	935870	260778	675092	
2	08	2053	0452—आयुक्त स्थापना	238359	85361	152998	
3	08	2053	0619—उप संभागीय स्थापना	2194951	863841	1331110	
4	08	2053	6924—प्रमुख राजस्व आयुक्त स्थापना	39804	18264	21540	
5	08	2053	1509—जिला प्रशासन	2428143	1002117	1426026	
6	08	2053	7415—लोक शोध राशि वसूली प्रोत्साहन योजना	100	0	100	
7	08	2053	8808—सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	10001	0	10001	
8	08	2053	7300—स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	1000	0	1000	
9	08	2053	1478—म.प्र. भूमि सुधार आयोग	15567	11280	4287	
योग मुख्य शीर्ष 2053				5863795	2241641	3622154	
10	08	2075	1412—जमींदारी प्रथा की समाप्ति पर भू-स्वामियों की क्षति-पूर्ति.	10	0	10	
11	08	2075	2617—पुनःग्रहीत भूमियों के बदले निवृत्ति वेतन	53	0	53	
योग मुख्य शीर्ष 2075				63	0	63	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	08	4059	5160—कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण.	272500	272500		0
13	08	4059	6664—तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	620000	620000		0
			योग मुख्य शीर्ष 4059	892500	892500		0
14	08	6401	0862—कृषक ऋण विधान	500	0		500
			योग मुख्य शीर्ष 0862	500	0		500
			योग मुख्य संख्या 08	6756858	3134141	3622717	
15	09	2075	4376—समर्पण तथा क्षतिपूर्तियों झक्कन सिल्लेदार और दाम दरखदारों का भुगतान.	250	0		250
			योग मुख्य शीर्ष 4376	250	0		250
			योग मुख्य संख्या 09	250	0		250
16	41	4059	6664—तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	10000	10000		0
			योग मुख्य शीर्ष 4059	10000	10000		0
			योग मुख्य संख्या 41	10000	10000		0
			महायोग मुख्य संख्या 08, 09 एवं 41	6767108	3144141	3622967	

प्रस्तावना (INTRODUCTION)

राजस्व विभागान्तर्गत भू-अभिलेख संबंधी कार्यों के संचालन हेतु विभागाध्यक्ष आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त कार्यालय, मोतीमहल, ग्वालियर में स्थित है। कार्यालय का मुख्य कार्य नक्शों / अभिलेखों को तैयार कराना तथा अद्यतन बनाये रखना है। इस कार्य हेतु जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी कलेक्टर भू-अभिलेख एवं अधीक्षक / सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख तथा आर.आई. / पटवारी जिले का अमला संभाग स्तर पर उपायुक्त भू-अभिलेख कार्यालय संचालित है। जो जिलों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं।

भू-अभिलेख के अन्तर्गत सर्वे / री-सर्वे की महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार के सहयोग से चल रही है। जिसके अन्तर्गत नगरेत्तर / नगरीय / आबादी के डिजिटल नक्शे तैयार कराये जाने की योजना है।

भू-अभिलेख के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख एवं नक्शों का डिजिटাইजेशन कराया गया है। रिकार्ड को जिलों में व्यवस्थित रखने के लिये मॉडर्न रिकार्ड रूम बनाये गये हैं तथा अभिलेखों को डिजिटल फार्म में व्यवस्थित किया गया है। इनसे आम जन को रिकार्ड की नकल दी जाने की सुविधा दी गई है। कृषि सांख्यिकीय के अन्तर्गत लघु सिंचाई संगणना वर्षा संबंधी जानकारी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कार्य किये जाते हैं। क्षेत्रीय अमले पटवारी / राजस्व निरीक्षण के कार्यालय सह-आवास योजना प्रचलित है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान एवं दो राजस्व निरीक्षक परीक्षण तथा नौ पटवारी प्रशिक्षण शालाएं संचालित हैं। जिनमें विभागीय अमले को विभागीय कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत सरकार / अन्य विभाग से जानकारी दी जाना आदि हेतु विभागीय वेबसाइट www.landrecords.mp.gov.in उपलब्ध है।

अतः भू-अभिलेख का महत्वपूर्ण कार्य विभागाध्यक्ष के निर्देशन में किया जाता है।

2. भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण:—

2.1.1 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण—

2.1.1.1 प्रदेश में भू-अभिलेख से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार किया गया है। अभी तक प्रदेश के समस्त 55622 ग्रामों के 1.40 करोड़ भूमि स्वामियों के 4.16 करोड़ खसरा नम्बरों का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार किया जा चुका है, जिसमें सर्वे नम्बर, क्षेत्रफल, भूमिस्वामी का नाम, स्वामित्व का प्रकार, पूर्ण पता, जाति, मिट्टी का प्रकार, भू-राजस्व, सिंचाई साधन, फसल का नाम इत्यादि की जानकारी सम्मिलित है। उक्त डाटाबेस का निरन्तर अद्यतन तहसील स्थिति डाटा सेन्टर पर तहसीलदारों से पर्यवेक्षण एवं जिला कलेक्टर्स के नियंत्रण में किया जा रहा है।

2.1.1.2 कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख (खसरा, बी-1 एवं नक्शा) के ऑनलाइन मॉडिफिकेशन / अपडेशन तथा सिटिजन सर्विसेज हेतु PPP Boot Model पर web based GIS solution तैयार करना—

कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेखों (खसरा, बी-1 एवं नक्शा) के ऑनलाइन मॉडिफिकेशन / अपडेशन तथा सिटिजन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिये पी.पी.पी. बूट मॉडल पर वेब बेस्ड जी.आई.एस. एप्लीकेशन तैयार कराया जा रहा है। एप्लीकेशन के महत्वपूर्ण मॉड्यूल तैयार कराए जाकर इसे प्रदेश के 32 जिलों में लागू कर दिया गया है। इन जिलों के तात्कालिक अद्यतित डिजिटली हस्ताक्षरित भू-अभिलेख ऑनलाइन इन्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। शेष जिलों के भू-अभिलेख, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर द्वारा अद्यतन किए जा रहे हैं तथा नागरिकों के मांगे जाने पर कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। शीघ्र ही इन जिलों के भू-अभिलेख ऑनलाइन किए जाकर वेब बेस्ट जी.आई.एस. एप्लीकेशन लागू किया जाएगा।

2.1.1.2 विभागीय वेबसाईट :

प्रदेश का भू-अभिलेख वेब के माध्यम से आम नागरिक, बैंक, पंजीयन कार्यालय आदि सभी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 फरवरी 2007 से इसे विभागीय वेबसाईट पर होस्ट कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों की 364 तहसीलों का डाटा विभागीय वेबसाईट पर होस्ट हैं। वेब बेस्ट जी.आई.एस. एप्लीकेशन वाले 32 जिलों के भू-अभिलेख वेबसाईट www.mpbhulekh.gov.in एवं 19 जिलों के अद्यतन भू-अभिलेख वेबसाईट www.landrecords.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

2.1.1.3 कम्प्यूटरीकृत प्रतियों का वितरण :

कम्प्यूटरीकृत नकल वितरण वर्ष 2001-02 से प्रारंभ किया गया है। कम्प्यूटरीकृत खसरा प्रतिलिपि का वितरण अनिवार्य किए जाने से प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत नकल वितरण में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

वित्तीय वर्ष	खसरा एवं बी-1 प्रतिलिपियों की संख्या	प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
2001-2002	3,88,477	34,79,765
2002-2003	5,57,898	55,13,287
2003-2004	5,80,489	60,91,043
2004-2005	7,93,548	91,88,006

वित्तीय वर्ष	खसरा एवं बी-1 प्रतिलिपियों की संख्या	प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
2005-2006	10,63,405	1,46,77,193
2006-2007	13,40,018	2,28,90,536
2007-2008	19,40,610	3,10,26,690
2008-2009	17,70,420	2,51,16,398
2009-2010	25,10,416	3,64,52,186
2010-2011	29,59,869	4,12,23,790
2011-2012	53,07,148	5,93,99,298
2012-2013	63,82,060	5,62,79,191
2013-2014	45,78,397	1,97,52,060
2014-2015	29,80,132	2,76,88,983
2015-2016	29,56,646	4,23,85,070
1 अप्रैल 2016 से 30 नवम्बर 2016 तक.	22,85,691	5,29,54,285

3. भूमि के नक्शों का डिजिटাইजेशन :

प्रदेश के 51 जिलों में उपलब्ध कराई गई 137084 मैपशीटों का डिजिटাইजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन सभी जिलों के नक्शों का डाटा खसरा डाटा से लिंक करा लिया गया है तथा खसरा के साथ नक्शा भी विभागीय वेबसाइट www.landrecords.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

तत्समय नक्शा विहीन, जीर्ण-शीर्ण होने से डिजिटাইजेशन से शेष एवं मूल ग्रामों से पृथक कर बनाए गए मजरा टोलों की लगभग 16000 मैपशीटों का डिजिटাইजेशन मैप आई.टी. के माध्यम से कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश के सभी ग्राम डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाएंगे तथा इनका अपडेशन एवं रख-रखाव आसान हो सकेगा।

4. तहसील स्थित अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण (modernize) करना—

अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण कार्य के अन्तर्गत पूर्व से निर्मित अभिलेखागार भवन का रिनोवेशन / इलेक्ट्रिफिकेशन कर, इनमें आई. टी. (सर्वर, कम्प्यूटर, एम. एफ. डी., यू. पी. एस. आदि) एवं नॉन-आई. टी. उपकरण (कॉम्पेक्टर, मैप केबिनेट, एंगल रैक, एयर कण्डीशनर आदि) स्थापित कराए जा रहे हैं। आधुनिक कॉम्पेक्टर में पुराने अभिलेखों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पुराने अभिलेखों की स्केनिंग, बारकोडिंग, इन्डेक्सिंग, टेगिंग आदि कराई जाकर डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनके संधारण एवं नकल उपलब्ध कराने की कार्यवाही 25 जिलों में प्रारम्भ कर दी गई है। डिजिटल रूप में परिवर्तित इन अभिलेखों को भविष्य में वेब बेस्ट जी.आई.एस. एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाईन रिट्रीव कर नकल प्राप्त करने की कार्यवाही की जाना है।

41 जिलों की 267 तहसीलों के अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण पूर्ण किया गया। ये जिले—श्यापुर मुरैना, भिण्ड, शिवपुरी, दतिया, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मण्डला, ग्वालियर, गुना, अलीराजपुर, बुरहानपुर, खण्डवा, अशोकनगर, झाबुआ, अनूपपुर, डिण्डोरी, बैतूल, बड़वानी, खरगौन, छिन्दवाड़ा, इन्दौर, दमोह, उमरिया, शाजापुर, नीमच, उज्जैन, सागर, मन्दसौर, टीकमगढ़, शहडोल, रतलाम, रीवा एवं आगर-मालवा हैं। 14 जिलों में अभिलेखों की स्केनिंग का कार्य प्रगति पर है। 41 जिलों में अभी तक बन्दोबस्त अभिलेखों के 2,67,07,505 पृष्ठों की स्केनिंग कर ली गई है।

शेष 11 जिलों के 89 अभिलेखागारों का कार्य मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। कार्य पूर्ण जिलों में बन्दोबस्त के अभिलेख की प्रतिलिपि किसानों को हाथों हाथ उपलब्ध करायी जा रही है।

5. सर्वे / री- सर्वे :

आधुनिक तकनीक "A hybrid method of using Stereo Pair High- Resolution Satellite Imagery (50cm or Higher-Resolution) enhanced by PAN sharpening of multi-spectral images and by required ground survey using DGPS and ETSM" से सर्वे कर प्रदेश के नगरीय एवं नगरेत्तर क्षेत्र का नक्शा एवं अभिलेख तैयार कराए जाने की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में प्राइमरी (1261) सेकण्ड्री (17495) एवं टर्शियरी (222638) कंट्रोल स्थापित कराए गए हैं।

स्थापित कराए जा रहे कंट्रोल प्वाइन्ट्स का कवरेज क्षेत्रफल तथा विन्यास निम्नानुसार है :—

क्र.	कंट्रोल प्वाइन्ट्स	कवरेज क्षेत्र (कि.मी. x कि. मी.)	कंट्रोल प्वाइन्ट्स का विन्यास
1.	प्राइमरी कंट्रोल प्वाइन्ट्स	16x16	25cmx25cmx120cm
2.	सेकण्ड्री कंट्रोल प्वाइन्ट्स	4x4	23cmx23cmx75cm
3.	टर्शियरी कंट्रोल प्वाइन्ट्स	1x1	15cmx15cmx45cm

नेशनल रिमोट सेन्सिंग सेन्टर (NRSC), हैदराबाद से प्रदेश के 35 जिलों की सैटेलाइट इमेजरी क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है। 22 जिलों का सैटेलाइट डाटा एन.आर.एस.सी. से प्राप्त हो गया है। शेष जिलों का सैटेलाइट डाटा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पायलट जिला ग्वालियर के ग्राम सुनारपुरामाफी एवं मुरैना जिले के ग्राम जतवारकापुरा के डिलेवरेवल्स जिला कार्यालय को जांच हेतु उपलब्ध कराए गए हैं। ग्वालियर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही इन जिलों के शेष ग्रामों के डिजिटल नक्शे एवं अधिकार अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

नगरीय क्षेत्र का सर्वे कर डिजिटल नक्शा एवं अधिकार अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही, पायलट जिला ग्वालियर की डबरा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 से प्रारम्भ की गई है। वेण्डर' से प्राप्त डिलेवरेवल्स का परीक्षण विभागीय तकनीकी सलाहकारों द्वारा किया जा रहा है। तदोपरान्त प्रदायित डिलेवरेवल्स का परीक्षण जिला कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

6. मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति का गठन, स्वरूप एवं उद्देश्य :

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल लैंड रिकार्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (NLRMP) के implementation एवं execution हेतु त्रिस्तरीय PMU / “मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति” का गठन एक सोसायटी के रूप में दिनांक 5-9-2011 को कराया गया है. समिति का पंजीयन क्रमांक 02/42/01/15278/11 है तथा स्वरूप निम्नानुसार है:—

समिति का नाम	स्वरूप	उद्देश्य	गठन का आदेश
शासी निकाय (Governing Body).	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में.	राज्य स्तर पर योजना की मॉनीटरिंग एवं रिव्यू.	समिति के गठन का प्रस्ताव, मेमोरेण्डम एवं नियमावली का मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12-7-2011 को अनुमोदित.
कार्यकारी समिति (Executive Body).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में.	राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग.	मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-14/2011/सात-6, दिनांक 13-1-2012 द्वारा.
कार्यान्वयन समिति (Implementing Body).	कलेक्टर की अध्यक्षता में	जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग.	मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-14/2011/सात-6, दिनांक 13-1-2012 द्वारा.

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति के शासी निकाय की बैठकों का आयोजन मान. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में किया जा रहा है. दिसम्बर 2016 तक शासी निकाय की 10 बैठकें एवं कार्यकारी समिति की 4 बैठक आयोजित की गई हैं.

7. कृषि सांख्यिकी योजना फसल बीमा योजना :

7.1 फसल बीमा योजना मूलतः कृषि विभाग से सम्बन्धित है तथा संचालक, कृषि, किसान कल्याण विन्ध्याचल भवन, भोपाल इसके नोडल अधिकारी हैं. उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में फसल बीमा योजना (तहसील स्तर) एवं (पटवारी हल्का स्तर) योजना क्रियान्वित है :—

7.1.1. नई राष्ट्रीय फसल बीमा योजना (जिला स्तरीय) :

मौसम खरीफ फसल मूंग व उड़द तथा मौसम रबी फसल मसूर हेतु वर्ष 2016-17 कृषि विभाग (सा.सा)द्वारा अधिसूचित किये गए हैं.

7.1.2 फसल बीमा योजना (तहसील स्तरीय) :

फसल बीमा योजना तहसील स्तर के उन तहसीलों में लागू है जिन चुनी गई अधिसूचित फसलों का क्षेत्रफल 500 हेक्टर या अधिक है तथा कम से कम 16 प्रयोग सम्पन्न होने पर कृषकों को फसल की क्षति होने पर क्लेम भुगतान किया जाता है वर्तमान में खरीफ के अन्तर्गत ज्वार, तिल, कोदोकुटकी, मूंगफली, कपास तथा रबी के अन्तर्गत फसल अलसी में उक्त योजना लागू है.

7.1.3 नई कृषि बीमा योजना (पटवारी हल्का स्तर) :

इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष मौसम खरीफ में फसल धान सिंचित, धान असिंचित सोयाबीन, तुअर, बाजरा, मक्का तथा रबी मौसम में गेहूँ सिंचित-असिंचित, चना, राई- सरसों पर फसल कटाई प्रयोग चुने गये पटवारी हल्कों में (चुनी गई अधिसूचित फसलों का क्षेत्रफल 100 हेक्टर या अधिक है) तथा कम से कम 4 प्रयोग होने के पश्चात् ही क्षति होने पर काश्तकार को बीमा का लाभ प्राप्त होता है. पटवारी हल्का स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों के पत्रकों का कम्प्यूटराईजेशन कराकर जिला कलेक्टर द्वारा औसत पैदावार की जानकारी इस कार्यालय के माध्यम से बीमा कम्पनी, भोपाल को भेजी जाती है.

4-1-4 पटवारी हल्का स्तर मौसम खरीफ रबी वर्ष 2016-17 अधिसूचना कृषि विभाग भोपाल द्वारा जारी कर दी गई है मौसम खरीफ 2016-17 की औसत पैदावार की जानकारी जिलों द्वारा दर्ज की जा रही है.

7.2 लघु सिंचाई संगणना :

भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संपूर्ण भारत के साथ-साथ मध्यप्रदेश राज्य में भी प्रत्येक पांच साल में लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना सम्पन्न कराई जाती है. यह भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना है जिसका समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है यह संगणना वर्ष 2013-14 के आधार पर सम्पन्न की जा रही है, जिसमें राज्य के समस्त (51) जिलों का क्षेत्र कार्य पूर्ण हो गया है डाटा एन्ट्री कार्य भी 16 जिलों में पूर्ण हो गया है एवं 13 जिलों में डाटा एन्ट्री कार्य लगभग समाप्ति पर है व 22 जिलों में डाटा एन्ट्री कार्य प्रगति पर है.

डाटा एन्ट्री कार्य पूर्ण हुए जिलों को कम्प्यूटरीकरण कार्य बावत् भुगतान करने एवं जिला व तहसील स्तरीय प्रशिक्षण बावत् मानदेय का भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा रही है.

7.3 वर्षा संबंधी जानकारी :

7.3.1 साप्ताहिक वर्षा :

साप्ताहिक वर्षा विवरण माह अक्टूबर 2015 में जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्यस्तरीय जानकारी तैयार की जाकर संबंधितों को भेजी गई है. वर्ष 2016 में वर्षा मौसम 1 जून 2016 से 12 अक्टूबर 2016 तक की साप्ताहिक वर्षा संबंधितों को भेज दी गई है.

यह विवरण प्रति वर्ष 1 जून से 15 अक्टूबर के बीच के सप्ताहों में भेजा जाता है. यह कार्य विभागीय वेबसाइट <http://10.131.98.160/mpclr/login.aspx> के माध्यम से किया जाता है.

7.3.2 सूचकांक :

वर्ष में कृषि वर्ष के आधार पर उत्पादन, उत्पादकता क्षेत्रफल एवं प्रक्षेत्रीय भाव के सूचकांक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल को भेजे जाते हैं.

7.4 थोकभाव :

कृषि जन्य पदार्थों के प्रत्येक वर्ष के थोक भाव सूचकांक 2015-16 तक विभागीय वेबसाइट www.landrecords.mp.gov.in पर होस्ट करायी गई है तथा होस्ट कराये जाने की सूचना प्रदेश के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा योजना आयोग भारत सरकार नई दिल्ली को दी जाती है

ग्रामीण फुटकर बाजार भाव एवं मजदूरों की मजदूरी के प्रतिवेदन सलाहकार भारत सरकार कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक भेजे जाते हैं।

ग्रामीण मजदूरी के प्रतिवेदन के आधार पर मासिक सूचकांक तैयार कर प्रतिमाह की 10 तारीख तक भारत सरकार को भेजे जाते हैं।

7.5 सामान्य सांख्यिकी :

सभी जिलों से प्राप्त वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन के आधार पर राज्य स्तरीय आंकड़े तैयार किए जाते हैं।

51 जिलों से वर्ष 2015-16 की वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं उनकी जांच पश्चात् प्राप्त विसंगतियों का निराकरण कर जिला स्तरीय संकलन कार्य पूर्ण कर राज्य स्तरीय आंकड़े तैयार किए जा चुके हैं। वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी वर्ष 2015-16 के आंकड़े तैयार हो चुके हैं वर्ष 2015-16 के भूमि वर्गीकरण के आंकड़े फसलवार क्षेत्रफल के आंकड़े सिंचित क्षेत्रफल आंकड़े बेबसाईट पर होस्ट कर दिये गये हैं।

प्रमाणिक पैदावार वर्ष 2015-16 तैयार कर कार्यालय की वेबसाईट www.landrecords.mp.gov.in पर होस्ट कर दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है वर्ष 2009-10 से 2013-14 का प्रकाशन कम्प्यूटर द्वारा तैयार कर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ओर वितरित किया जा चुका है वर्ष 2010-11 से 2014-15 के प्रकाशन का कार्य प्रगति पर है।

8. भू-परिमाण एवं बन्दोबस्त :

8.1 भू-परिमाण एवं बंदोबस्त को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :—

(1) भू-परिमाण

(2) राजस्व सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त

9. ऐसे क्षेत्र जो अपरिमाणित हैं उनका अभिलेख तैयार करने के लिए किये जाने वाले सर्वेक्षण कार्य भू-परिमाण के अन्तर्गत है। भू-परिमाण के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :—

9.1 अपरिमित क्षेत्रों का भू-परिमाण.—इस योजना का उद्देश्य राज्य के ऐसे गांव जो भू-मापित नहीं हैं उनका भू-परिमाण कर नक्शा निर्माण करना एवं निर्मित नक्शों के आधार पर उनका अधिकार अभिलेख बनाना है वर्तमान में प्रदेश के 29 जिलों के नगरेत्तर क्षेत्रों के नक्शा विहीन ग्रामों के नक्शा एवं अभिलेख के निर्माण कार्य चल रहा था जिसमें से 15 जिलों का कार्य पूर्ण हो चुका है 14 जिलों में कार्य प्रगति पर है इनकी जिलेवार संख्या परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

**नक्शा विहीन ग्रामों के नक्शा एवं अभिलेख निर्माण
दिनांक 31-12-2016 तक की स्थिति में**

क्रमांक	जिला का नाम	ग्रामों की संख्या	खोजें / तैयार किये गये नक्शों की संख्या	शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्यापुर	103	102	01
2	भिण्ड	45	44	01
3	मुरैना	147	143	04
4	ग्वालियर	82	81	01
5	दतिया	08	08	कार्य पूर्ण
6	गुना	54	54	कार्य पूर्ण
7	अशोकनगर	33	23	10
8	भोपाल	05	05	कार्य पूर्ण
9	विदिशा	72	71	01
10	राजगढ़	33	33	कार्य पूर्ण
11	छिन्दवाड़ा	04	04	कार्य पूर्ण
12	छतरपुर	104	101	03
13	शहडोल	71	71	कार्य पूर्ण
14	अनूपपुर	81	81	कार्य पूर्ण
15	उमरिया	03	03	कार्य पूर्ण
16	रीवा	38	37	01
17	सतना	95	89	06
18	इंदौर	19	19	कार्य पूर्ण
19	धार	52	51	01
20	खरगोन	12	12	कार्य पूर्ण
21	रतलाम	15	15	कार्य पूर्ण
22	शाजापुर	44	42	02
23	मंदसौर	03	03	कार्य पूर्ण
24	नीमच	34	28	06
25	टीकमगढ़	05	05	कार्य पूर्ण
26	सागर	01	01	कार्य पूर्ण
27	मण्डला	21	21	कार्य पूर्ण
28	देवास	10	08	02
29	आगर-मालवा	05	04	01
योग . . 1200			1160	40

टीप—

1	अधिसूचित नक्शा विहीन कुल ग्रामों की संख्या	-	1200
2	भौतिक सत्यापन में प्राप्त ग्रामों की संख्या	-	885
3	प्रस्तावित नक्शा निर्माण हेतु ग्रामों की संख्या	-	315
4	कार्य पूर्ण कर जिला प्रशासन को सौंपे गये ग्रामों की संख्या	-	275
5	नक्शा निर्माण हेतु शेष ग्रामों की संख्या	-	40

10. विभागीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा की कार्ययोजना—

10.1 वर्ष 2016-17 में राजस्व निरीक्षक संस्थान एवं पटवारी प्रशिक्षण शालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी का प्रपत्र :—

क्र. (1)	प्रशिक्षण संस्थान का नाम (2)	जिला (3)	प्रशिक्षणार्थियों का पदनाम (4)	वर्ष 2016 (5)	विवरण (6)
1	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव ग्वालियर.	ग्वालियर	परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा. राज्य प्रशासनिक सेवा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (नव नियुक्त). नवीन चयनित राजस्व निरीक्षण	12 - - 120	- - - 09 माह (दिनांक 1 जून 2016 से फरवरी 2017 तक).
2	राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर उमरिया		- -	122 -	- -
3	पटवारी प्रशिक्षण शालाओं का नाम.	सीहोर रीवा मुरैना बालाघाट होशंगाबाद जबलपुर उज्जैन खरगौन सागर	नवीन चयनित पटवारी नवीन चयनित पटवारी नवीन चयनित पटवारी नवीन चयनित पटवारी नवीन चयनित पटवारी नवीन चयनित पटवारी नवीन चयनित पटवारी नवीन चयनित पटवारी नवीन चयनित पटवारी	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -

10.2 आगामी वर्ष 2017 के लिए परीक्षा अनुभाग की कार्य योजना

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ष 2015 बैच के 13 एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों को सर्वे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है.

2. राजस्व निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु माह जनवरी 2015 में परीक्षा आयोजित की गई है 38 नव-नियुक्त राजस्व निरीक्षकों के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को आगामी वर्ष 2017 में विभागीय प्रशिक्षण दिया जाकर परीक्षा आयोजित की जावेगी.

11. विभागीय निर्माण कार्य :

11.1 राजस्व निरीक्षक / पटवारी कार्यालय सह आवास भवनों का निर्माण :

11.1.1. उद्देश्य—राजस्व निरीक्षक / पटवारियों के कार्य का अधिकांश समय ग्रामीण अंचल में होता है परन्तु वहां निवास की उचित व्यवस्था न होने से उन्हें जिला व तहसील मुख्यालय पर निवास करना पड़ता है फलस्वरूप कृषकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है कृषकों की समस्याओं का मौके पर ही निदान हो सके इसके लिए राजस्व निरीक्षक / पटवारियों को हल्के पर ही रहने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य में रा. नि. मण्डल तथा पटवारी हल्के में कार्यालय सह आवासीय भवन बनवाने की योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी क्रियान्वित की जा रही है इस योजना के क्रियान्वयन से राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी अपने हल्कों में निवास कर सकेंगे और किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर सकेंगे.

11.1.2 राजस्व निरीक्षक / पटवारी कार्यालय सह आवास निर्माण कार्य की प्रगति-योजना के प्रारम्भ से वर्ष 2015-16 तक कुल 1977 भवनों के निर्माण में रूपए 8207.71 लाख की राशि व्यय की गई है अभी तक इस योजना के अन्तर्गत 1403 भवनों का निर्माण कराया जा चुका है शेष निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर जारी है.

11.1.3 वर्ष 2016-17 में 264 भवनों के निर्माण की स्वीकृति राज्य योजना अयोग द्वारा प्रदान की गई थी जिनके निर्माण हेतु रु. 1372.80 लाख का आवंटन प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को पत्र दिनांक 1-8-2016 द्वारा सौंपा गया था निर्माण कार्य की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव राजस्व की अध्यक्षता में दिनांक 23-8-2016 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 14-04/2012/सात/शा-5, दिनांक 5-12-2016 द्वारा वर्ष 2016-17 के निर्माण कार्यों हेतु राशि रु. 1372.80 लाख से पूर्व के स्वीकृत अपूर्ण निर्माण कार्यों की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः वर्ष 2016-17 में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहे हैं.

11.2 अभिलेखागार भवनों का निर्माण :

राजस्व अभिलेख अति-महत्वपूर्ण श्रेणी का अभिलेख होता है इन अभिलेखों का उपयोग साक्ष्य के रूप में विभिन्न राजस्व न्यायालयों में अक्सर होता रहता है. इन अभिलेखों को व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखने हेतु पृथक् से अभिलेखागार होना अति-आवश्यक है.

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला/तहसील मुख्यालयों पर अभिलेखागार निर्माण की योजना प्रारंभ की गई. योजना के प्रारंभ से वर्ष 2011-12 तक 261 अभिलेखागार भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें रुपये 1148.69 लाख का व्यय किया गया है. 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 19 अभिलेखागार भवनों हेतु रुपये 75.00 लाख का आवंटन किया जा चुका है, जिसमें से 16 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है.

11.3 मॉडर्न अभिलेखागार का निर्माण :—

केन्द्र प्रवर्तित योजना (NLRMP) के अन्तर्गत भू-अभिलेखों को सुरक्षित रूप से रखने हेतु वर्ष 2009-10 में प्रदेश के 50 जिलों की 109 तहसीलों में मॉडर्न अभिलेखागार के निर्माण हेतु रुपये 1365.00 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। प्रत्येक जिले में दो मॉडर्न रिकार्ड रूम निर्माण किये जावेंगे। जिला तहसील हेतु रुपये 13.50 लाख एवं जिले की एक अन्य तहसील हेतु रुपये 11.50 लाख इस प्रकार प्रत्येक जिले की रुपये 25.00 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। इन आधुनिक अभिलेखागारों में 65' × 30' के क्षेत्र में जंगरोधी रैक्स का निर्माण, रिकार्ड कीपर रूम टायलेट के साथ, कम्प्यूटर रूम एवं विजिटर रूम का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 तक 107 मॉडर्न अभिलेखागारों का निर्माण पूर्ण हो चुका है शेष में विभिन्न स्तरों पर निर्माण कार्य जारी है।

11.4 राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण शाला भवनों का निर्माण :—

राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी भू-अभिलेख विभाग की महत्वपूर्ण इकाई है इन कर्मचारियों की नियुक्ति पश्चात् उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु प्रदेश में राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण शाला के भवनों के निर्माण हेतु कार्य कराया गया है। इसके अंतर्गत राज्य में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर, दो राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला एवं 9 पटवारी प्रशिक्षण शाला संचालित है।

पटवारी प्रशिक्षण शाला होशंगाबाद/सागर/बालाघाट एवं जबलपुर में प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु छात्रावास का निर्माण भी कराया गया है। वार्षिक योजना वर्ष 2013-14 में राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर को 50 बिस्तर वाले छात्रावास हेतु राशि रु. 238.00 लाख का आवंटन सौंपा गया था जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एवं उज्जैन में छात्रावास/ कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 150.00 लाख का आवंटन दिया गया था जिसका निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है।

वर्ष 2016-17 में नवीन पटवारी प्रशिक्षण शाला रीवा के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 21.96 लाख का आवंटन चतुर्थ त्रैमास में सौंपा जा रहा है। इसी प्रकार रा.स्त.प्रशि.संस्थान महलगांव में अनुरक्षण एवं विद्युतिकरण हेतु रु. 6208078 लाख का आवंटन सौंपा जा रहा है।

12. विन्दु क्रमांक-1 पदोन्नत अधिकारी कर्मचारियों की संवर्गवार जानकारी :

स. क्र. (1)	पदनाम (2)	पदोन्नत अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या (3)
1.	अनुरेखक से राजस्व निरीक्षक	02
विन्दु क्रमांक-2	स्थानान्तरण की संवर्गवार जानकारी : निरंक	
विन्दु क्रमांक-3	क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ दिये गये अधिकारी/कर्मचारियों की संवर्गवार जानकारी : निरंक	
विन्दु क्रमांक-4	विभाग में स्वीकृत पद/भरे पद/रिक्त पदों की माह दिसम्बर, 2016 की स्थिति में जानकारी : पृथक से संलग्न है।	

बिन्दु क्रमांक-5 दिनांक 1-4-2016 की स्थिति में जारी की गई पदक्रम सूची की संवर्गवार जानकारी : पृथक् से संलग्न है.

बिन्दु क्रमांक-6 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकृत किये जाने की संवर्गवार जानकारी :-

स. क्र. (1)	पदनाम जिस पर नियुक्ति प्रदान की गई (2)	निराकृत किये गये प्रकरण की संख्या (3)
1	पटवारी	01
2	सहायक ग्रेड-3 (शासन को एकल नस्ती में सामान्य/पिछड़ा वर्ग के पद रिक्त न होने से प्रस्ताव प्रेषित किये गये प्रकरणों की संख्या)	04
3	सहायक ग्रेड-3	03
4	भृत्य	16
		योग . . 24
बिन्दु क्रमांक-7	आगामी पांच वर्षों में मुख्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 1-1-2017 से 31-12-2021 तक की अवधि में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कि जानकारी पृथक् से संलग्न है.	

12.1

- (1) मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-8-29/2004/सात-4/745, दिनांक 24-9-2007 द्वारा विभागीय नवीन संरचना के अन्तर्गत नवीन सेटअप की स्वीकृति अनुसार.
- (2) मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-01/2013/सात/4 बी, दिनांक 30-11-2013 द्वारा नवगठित जिला कार्यालय, भू-अभिलेख आगर-मालवा के लिये सृजित पदों को भी सम्मिलित किया गया है.

“स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों की जानकारी” (माह 01 जनवरी 2017 की स्थिति)

स. क्र. (1)	पदनाम (2)	कुल स्वीकृत पद (3)	भरे पद (4)	रिक्त पद (5)	रिमांक (6)
1	आयुक्त भू-अभिलेख	01	01	-	-
2	अपर आयुक्त भू-अभिलेख	01	-	01	-
3	संयुक्त आयुक्त भू-अभिलेख	02	-	02	-
4	संयुक्त संचालक (वित्त)	01	01	-	-
5	संयुक्त संचालक (सां.)	-	-	-	01 पद किसान कल्याण तथा कृषि विभाग को दिये.
6	जिला भू-प्रबन्धन अधिकारी	22	01	21	-
7	उप आयुक्त (विधि)	01	-	01	-
8	उप आयुक्त (सांख्यिकी)	01	-	01	03 पद किसान कल्याण तथा कृषि विभाग को दिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	उप आयुक्त भू-अभिलेख/उप प्राचार्य, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान/प्राचार्य राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शालाएं/ सर्वे अधिकारी/केडस्टूल सर्वे अधिकारी.	16	09	07	-
10	सिस्टम एनालिस्ट	01	01	-	-
11	प्रोग्रामर	01	-	01	-
12	लेखा अधिकारी	01	01	-	-
13	सहायक आयुक्त (सांख्यिकी)	08	-	08	06 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
14	प्रशासनिक अधिकारी	01	-	01	-
15	अधीक्षक भू-अभिलेख	143	12	131	-
16	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	280	174	106	-
17	राजस्व निरीक्षक	2167	1757	410	-
18	पटवारी	11622	9894	1728	व्यापम द्वारा भरे जा रहे हैं.
19	अधीक्षक (मुख्यालय)	09	03	06	-
20	सहायक अधीक्षक (कार्यालय)	16	01	15	-
21	सहायक ग्रेड-1	25	05	20	-
22	ग्रंथपाल	01	-	01	-
23	सहायक ग्रेड-2	148	61	87	-
24	सहायक ग्रेड-3	342	273	69	03 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
25	वरिष्ठ निज सहायक	02	01	01	-
26	निज सहायक	05	-	05	-
27	शीघ्रलेखक (कनिष्ठ श्रेणी)	15	08	07	-
28	स्टेनो टायपिस्ट	03	-	03	-
29	पर्यवेक्षक फसल प्रयोग	19	03	16	36 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
30	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	19	09	10	12 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
31	संगणक (सांख्यिकी)	31	06	25	21 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
32	मुख्य मानचित्रकार	01	-	01	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	मुख्य संगणक	03	-	03	
34	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी	04	-	04	
35	परगामी	08	05	03	
36	मानचित्रकार	84	15	69	
37	संगणक सर्वे	11	-	11	
38	अनुरेखक	168	129	39	
39	सहायक प्रोग्रामर	35	06	29	
40	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (मशीन ऑपरेटर-1 पद)	81+1=82	25	57	
41	जूनियर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (एक पद वायरमेन का सम्मिलित).	458	392	66	
42	सहायक लेखा अधिकारी	04	04	-	
43	वाहन चालक	20	15	05	01 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिया.
44	सुपरवाइजर	01	01	-	
45	जमादार/दफ्तरी	09	-	09	
46	भृत्य/चतुर्थ श्रेणी नियमित	1486	1286	200	
47	कंटेनजेन्सी/कलेक्टर दर पर	1160	450	710	
		डाइंग केडर घोषित.			
योग :		18438	14549	3889	

13. वित्त वर्ष 2016-17 में आयोजनेत्तर (Non Plan) का बजट प्रावधान तथा आवंटन दिनांक 31-12-2016.

2029-भू-राजस्व

स.क्र.	योजना का नाम	गतिविधियां	बजट प्रावधान	(राशि रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	31-12-2016 तक व्यय राशि (5)
1	0456-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त कार्यालय	वेतन भत्ते	101888000	60353514
2	6846-भू-प्रबंधन	वेतन भत्ते	857730000	487019833
3	2193-नजूल स्थापना	वेतन भत्ते	272535000	176103435
4	2503-परिमाणन, व्यवस्थापन तथा लेखन संबंधी कार्य	वेतन भत्ते	323621000	195756885
5	3132-भू-सुधार	वेतन भत्ते	14410000	7366088
6	0767 कपास पर फसल अनुमान परिमाणन	वेतन भत्ते	9000	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	1472-जिला खर्च	वेतन भत्ते	4915075000	3153340438
8	1904-तेरहवीं पंचवर्षीय पशु संगणना 1982	वेतन भत्ते	2546000	1239344
9	2494 पदाधिकारियों को सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख प्रशिक्षण	वेतन भत्ते	9677000	5427799
10	6155-कृषकों के अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण.	प्रेस छपाई	10000000	1429900

योग आयोजनेत्तर :

6507491000

4088037236

11	2049-0990 क्षतिपूर्ति एवं बाण्ड्स	-	200000	0
12	2049/3329 ब्याज की अदायगियां	-	50000	0
13	3604-6111 नजूल लगान में से नगरपालिकाओं को अनुदान	अनुदान	40500000	40500000
14	5475-2183 भूमि धारकों को मुआवजा का भुगतान (बाण्ड्स)	मुआवजा बाण्ड्स	500000	0

योग आयोजनेत्तर :

6548741000

4128537236

14. वित्त वर्ष 2016-17 में आयोजना (Plan) का बजट प्रावधान तथा आवंटन दिनांक 31-12-2016.

(राशि रुपये में)

स.क्र.	योजना का नाम	गतिविधियां	बजट प्रावधान	31-12-2016 तक व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राज्य आयोजना				
1	5070-(3180)-कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण.	तहसीलों का उन्नयन.	2000	0
2	7603-(1559) राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन.	वेतन भत्ते/परिवहन.	1000	0
3	7167-(नवीन) एस.एल.टी.आई. एवं प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण.	उन्नयन एवं आधुनिकीकरण.	10000000	8404078
4	8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य		50000000	0
योग (राज्य आयोजना)			60003000	8404078

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दो पूंजी अनुभाग 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
5	6980(3171)भू-अभिलेख जिला प्रशासन के स्तरों के सुधार की योजना (राजस्व निरीक्षक/पटवारी आवास निर्माण).	8	2000000	2000000
		41	77000000	76980000
		64	58300000	58300000
योग (पूंजीगत परिव्यय) :			137300000	137280000

टीप—निर्माण कार्य की राशि बी.सी.ओ. से बी.सी.ओ. हस्तांतरित की गई है.

केन्द्र प्रवर्तित योजना

6	6337 (1200)-भू-अभिलेख का अद्यतीकरण (NLRMP) राज्यांश (50%).	उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	1000	0
---	--	--------------------------	------	---

योग (केन्द्र प्रवर्तित योजना) :	1000	0
-----------------------------------	------	---

केन्द्र क्षेत्रीय योजना

7	5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार.	कम्प्यूटरीकरण	44700000	0
8	9981-लघु सिंचाई योजनाओं की योजना मानदेय.	कम्प्यूटरीकरण	67053000	12019000

योग . . (केन्द्र क्षेत्रीय योजना) :	111753000	12019000
---------------------------------------	-----------	----------

कुल योग (आयोजना) :	309057000	157703078
----------------------	-----------	-----------

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

विभागाध्यक्ष :—

श्री संजीव सिंह — अवधि 3-8-2015 से दिनांक 23-8-2016
 श्री के. के. खरे — अवधि दिनांक 23-8-2016 से लगातार
 प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा पदेन सचिव, राजस्व
 विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक
 का अतिरिक्त प्रभार.

विभागीय संरचना :

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अन्तर्गत चार मुद्रणालय क्रमशः भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा में स्थित हैं. जिलों का मुद्रणालयों से सम्बद्धीकरण निम्नानुसार है:—

स.क्र. (1)	मुद्रणालय का नाम (2)	सम्बद्ध जिलों के नाम (3)
1.	शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल (14 जिले).	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, मण्डला एवं राजगढ़.
2.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर (12 जिले).	ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, सागर, दमोह, छतरपुर एवं टीकमगढ़.
3.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर (15 जिले).	इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मन्दसौर, नीमच, शाजापुर एवं आगर मालवा.
4.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा (10 जिले).	रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी, अनूपपुर, कटनी एवं पन्ना.

साथ ही शासकीय प्रकाशन, लेखन सामग्री एवं डायरी, कैलेण्डर वितरण हेतु 5 वितरण केन्द्र क्रमशः भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, रीवा एवं जबलपुर में स्थित हैं. विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 1684 पद स्वीकृत हैं, जिनकी श्रेणीवार जानकारी निम्नानुसार है:—

स.क्र. (1)	श्रेणी (2)	स्वीकृत पद (3)	भरे पद (4)	रिक्त पद (5)
1	प्रथम श्रेणी	07	05	02
2	द्वितीय श्रेणी	10	03	07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	तृतीय श्रेणी	1217	544	673
4	चतुर्थ श्रेणी	445	152	293
5	आकस्मिकता निधि	05	03	02
योग :		1684	707	977

टीप :—विभागीय संरचना (सेटअप) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण पदों की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी है.

विभागीय पदोन्नति	:	निरंक.
विभागीय जांच	:	09 प्रकरण अधिकारियों के एवं 06 प्रकरण कर्मचारियों के लम्बित हैं.
नियुक्तियां :	:	सीधी भर्ती से कोई नियुक्ति नहीं की गई है. अनुकम्पा के आधार पर 6 नियुक्ति की गई हैं.
परिवीक्षा अवधि समाप्त करना	:	04 कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई.
परीक्षण अवधि समाप्त करना	:	61 कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई.
न्यायालय प्रकरण	:	46 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं.
समयमान वेतनमान	:	175 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है.

नियंत्रक के दायित्व :

मध्यप्रदेश राजपत्र का प्रकाशन, विधान सभा प्रश्नोत्तरी एवं कार्यवाही विवरण का मुद्रण, विभिन्न चुनाव हेतु मतपत्रों तथा चुनाव संबंधित प्रपत्र एवं लिफाफों का मुद्रण, बजट (अनुदानों की मांग) पुस्तिका का मुद्रण, शेड्यूल प्रपत्रों का मुद्रण, विधान सभा के प्रश्नोत्तरी एवं अन्य सामग्रियों का मुद्रण शासकीय डायरी एवं कैलेण्डर का मुद्रण तथा प्रकाशन. शासन के समस्त विभागों को उनकी मांग पर मुद्रण सामग्री का मुद्रण कर प्रदाय करना तथा भोपाल स्थित समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों को लेखन सामग्री के मांग की पूर्ति करना.

सामान्य या प्रमुख विशेषताएं :

विभाग द्वारा समस्त शासकीय विभागों / कार्यालयों की अनुसूची एवं गैर-अनुसूची प्रपत्रों एवं बुकों, राजपत्र, बजट, अनुमान पुस्तिका, विधान सभा प्रश्नावली एवं कार्यवाही विवरण के साथ मतपत्र मुद्रण के अति गोपनीय कार्यों एवं शासकीय कैलेण्डर एवं डायरी का मुद्रण करना एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के उपयोग में आने वाली लेखन सामग्री का भी प्रदाय किया जाता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र एवं असाधारण राजपत्र को विभाग की वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर माह सितम्बर 2010 से अपलोड किया जा रहा है, जिससे शासकीय विभागों एवं आम जनता को सुगमता से उनके कार्यालय में ही प्राप्त हो सके.

महत्वपूर्ण सांख्यिकी:

लक्ष्य का नाम	निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 2016-17	वार्षिक लक्ष्य के आधार पर 30-11-2016 तक का निर्धारित लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर 2016 तक की प्राप्तियां	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भौतिक लक्ष्य				
अ. मुद्रण इम्प्रेशन ए/2 आकार	24,00,00,000	16,00,00,000	7,28,70,515	45.54%
ब. कम्पोज पृष्ठ ए/4 आकार	85,000	56,666	29,882	52.73%
आर्थिक लक्ष्य (रुपयों में)	52,64,00,000	35,09,33,333	7,65,72,254	21.81%

बजट प्रावधान लक्ष्य व्यय

मांग संख्या-9 शीर्ष 2058—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के बजट का विवरण निम्नानुसार है :—

बजट शीर्ष का नाम मांग संख्या-9 शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2016-17 का प्रावधान	वित्त विभाग द्वारा कटोत्रे के पश्चात् प्राप्त आवंटन	दिनांक 31-12-2016 तक का प्राप्त आवंटन के विरुद्ध व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
	74,84,44,000	73,05,13,200	29,94,23,629
	50,000 भारित	50,000 भारित	

कार्यालय राहत आयुक्त, म. प्र.

राहत भवन, 220 अरेरा हिल्स, भोपाल

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

राहत आयुक्त कार्यालय स्थापना, सामान्य परिचय एवं भूमिका

प्रदेश स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की जानकारी संकलित करने और आपदा प्रभावितों को प्रदाय की जा रही राहत की निरंतर मॉनीटरिंग करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय की स्थापना वर्ष 1979-80 में शासन द्वारा की गई। राहत आयुक्त कार्यालय में प्राकृतिक आपदाओं यथा-सूखा, बाढ़, ओला, पाला, अग्नि, भूकंप एवं कीट प्रकोप आदि से प्रभावितों को त्वरित रूप से राहत पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। विभाग यह कार्य जिला स्तर पर जिला प्रशासन के माध्यम से संपादित करता है। राहत आयुक्त कार्यालय का सेटअप निम्नानुसार है:—

क्र. (1)	पदनाम (2)	स्वीकृत पदों की संख्या (3)	भरे पदों की संख्या (4)	रिक्त पदों की संख्या (5)
1	राहत आयुक्त	01	01	00
2	उप राहत आयुक्त	02	02	00
3	लेखाधिकारी	01	01	00
4	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	02	01	01
5	सहायक अंकेक्षण अधिकारी	01	00	01
6	सहायक कम्प्युटर प्रोग्रामर	01	00	01
7	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	02	00	02
8	अन्वेषक	03	01	02
9	संगणक	01	00	01
10	सहायक ग्रेड-2	01	01	00
11	लेखापाल	01	01	00
12	सहायक ग्रेड-3	04	03	01
13	स्टेनोग्राफर	01	00	01
14	स्टेनो टायपिस्ट	01	01	00
15	वाहन चालक	04	03	01
16	भृत्य	05	04	01
17	डाकराईडर	02	02	00
18	चौकीदार	01	01	00
कुल पद :		34	22	12

2. अपने सीमित अमले की सहायता से यह कार्यालय सभी प्राकृतिक आपदाओं की विस्तृत जानकारी एकत्रित कर उनका सारणीकरण कर राज्य शासन को अवगत कराता है। निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रभावितों को त्वरित तथा यथायोग्य सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यालय द्वारा वर्षा ऋतु में राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित कर वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है, साथ ही आवश्यकता होने पर जिलों में तत्काल राहत सहायता हेतु हेलीकाप्टर एवं एनडीआरएफ बल आदि की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है।

3. भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुंचाने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) की स्थापना वर्ष 2010-11 में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप की गई है। एस.डी.आर.एफ. की निर्धारित राशि का 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश होता है। वर्ष 2015-16 में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश का आकार निम्नानुसार है:—

क्र.	वर्ष	केन्द्र का भाग (75 प्रतिशत)	राज्य का भाग (25 प्रतिशत)	योग राशि करोड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015-16	657.75	219.25	877.00
2	2016-17	690.75	230.25	921.00
3	2017-18	725.25	241.75	967.00
4	2018-19	762.00	254.00	1016.00
5	2019-20	799.50	266.50	1066.00

4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल सहायता देने के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश शासन आपदाओं से हुई क्षति के मामलों में प्रभावितों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में प्रावधान रखा है जिससे संबंधित पर आई आपदा का मुकाबला करने के लिए उसमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सकें। इसके साथ ही समय-समय पर पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन कर उल्लेखनीय वृद्धि की जाती है।

5. प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को हुई क्षति के अनुसार तत्काल सहायता राहत राशि उपलब्ध करायी जाती है। व्यापक आपदाओं के आने पर एसडीआरएफ के निर्धारित राशि एवं राज्य शासन से उपलब्ध बजट से अधिक व्यय होने की संभावना पर भारत सरकार से मेमोरेण्डम भेजा जाकर अतिरिक्त सहायता राशि की मांग राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (N.D.R.F) से की जाती है।

6. प्रदेश में नैसर्गिक आपदाओं की स्थिति :

वर्ष 2015-16 में प्रदेश के जिलों में व्यापक रूप से सूखे से प्रभावित रहा है। अल्पवर्षा के कारण प्रदेश में 46 जिलों की 289 तहसीलों के 42,829 ग्राम प्रभावित रहे। सूखा प्रभावित जिलों में प्रभावितों को अनुदान राहत सहायता प्रदाय किये जाने हेतु जिला कलेक्टरों को राशि रुपये 347567.88 प्रदाय किये गये।

अल्प वर्षा के आधार पर वर्ष 2016-2017 के लिए प्रदेश के 04 जिलों की 10 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित की गई है।

7. मानसून वर्ष 2015-16 में प्रदेश के 12 जिलों यथा—राजगढ़, सीहोर, रायसेन, देवास, उज्जैन, शाजापुर, आगर-मालवा, रतलाम, इन्दौर, धार, खण्डवा एवं छतरपुर जिलों के 987 ग्राम बाढ़ से प्रभावित रहे. जिलों में बाढ़ से 77 जनहानि, 220 पशुहानि, 1198 मकान पूर्ण: तथा 8824 मकान आंशिक रूप से प्रभावित हुए. प्रभावितों को राशि रु. 39443.50 लाख अनुदान सहायता के रूप में वितरित किये गये.

8. माह फरवरी-मार्च 2015 में प्रदेश के 11 जिलों यथा—जबलपुर, सीधी, सागर, बालाघाट, विदिशा, दमोह, बड़वानी, भिण्ड, कटनी, छतरपुर एवं मुरैना के 312 ग्राम ओला प्रभावित रहे. जिलों में ओला से 14 जनहानि, 54 पशुहानि, 07 मकान पूर्ण: तथा 4404 मकान आंशिक रूप से प्रभावित हुए. इन ओला प्रभावित जिलों में प्रभावितों को कुल राशि रु. 39443.50 लाख अनुदान सहायता हेतु वितरित किये गये.

9. विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में अनुदान सहायता:—वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश के जिलों के विभिन्न आपदाओं में निम्नानुसार राशि वितरित की गई :—

क्रमांक (1)	आपदा का नाम (2)	वितरित राशि (लाख रु. में) (3)
1	अग्नि	1285.96
2	बाढ़	5653.28
3	ओला	39443.50
4	पाला	50.10
5	पेयजल परिवहन	1263.59
6	सूखा	347567.88
7	कीट प्रकोप	43622.41
8	अन्य	266.78
कुल योग :		439153.50

10. अतिवृष्टि एवं बाढ़ :

मानसून वर्षा वर्ष 2016 के दौरान 43 जिलों में अतिवृष्टि / बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई, जिसमें 327 जनहानि, 2623 पशुहानि तथा 1,68,267 मकान क्षतिग्रस्त हुए.

11. राज्य स्तरीय आपदा नियंत्रण केन्द्र सह. राहत आयुक्त कार्यालय :

प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में शीघ्रातिशीघ्र राहत कार्यों के पर्यावेक्षण व उचित क्रियान्वयन की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा आपदा राहत भवन सह. राहत आयुक्त कार्यालय का निर्माण किया गया है इस भवन में राहत आयुक्त कार्यालय के साथ-साथ प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय एवं भूमि सुधार आयोग का कार्यालय भी संचालित है.

हस्ता./-

(मुधबाला नाहर)

उप राहत आयुक्त

मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण) क्रमांक 175, भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-04.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
राजस्व विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1	राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-छः क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
4.2	चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय.	तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी.	5 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.3	चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार. (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.4	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार. (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.5	भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार. (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	45 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.6	वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान. (राजस्व एवं वन ग्रामों में).	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.7	नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र	नजूल अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
4.8	शोध क्षमता प्रमाण-पत्र	(अ) तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार. (अपनी-अपनी अधिकारिता में) (5 लाख रुपये तक) (ब) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. (25 लाख रुपये तक) (स) कलेक्टर, (25 लाख रुपये से ऊपर)	30 कार्य दिवस 45 कार्य दिवस 45 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. कलेक्टर संभागायुक्त	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त सचिव, राजस्व.
4.9	राजस्व न्यायालय (राजस्व मंडल को छोड़कर) में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश/ अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि पक्षकार को प्रदाय करना.	संबंधित कार्यालय की प्रतिलिपि शाखा का प्रभारी अधिकारी.	15 कार्य दिवस	तहसील स्तर पर —अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. जिला स्तर पर —कलेक्टर. संभाग स्तर पर —संभागायुक्त.	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त सचिव, राजस्व.
4.10	अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भूअभिलेखों/ राजस्व प्रकरणों/ नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना.	प्रभारी अधिकारी रिकार्ड रूम (तहसील में निर्दिष्ट तहसीलदार, जिलों में संयुक्त/डिप्टी कलेक्टर) संभागीय रिकार्डरूम— उपायुक्त राजस्व/ प्रभारी अधिकारी.	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	तहसील में— अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. जिले में— कलेक्टर. संभागायुक्त	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त सचिव, राजस्व.
4.11	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत निम्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाना.	(अ) तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार. (अपनी-अपनी अधिकारिता में) (15 हजार रुपये तक)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता.	(ब) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. (रुपये 30 हजार तक)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	
2. पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिये आर्थिक सहायता.						
3. नष्ट हुए मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता.	(स) कलेक्टर. (रु. 30 हजार से अधिक के प्रकरण)	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस		सचिव, राजस्व.
4. कपड़ों, बर्तनों एवं खाद्यान्न की क्षति के लिये आर्थिक अनुदान सहायता.						
5. लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिए सहायता.						
6. मृत पशुओं के निवर्तन की व्यवस्था.						
7. कुम्हार के भट्टे में ईंट तथा खपरे बरबाद होने पर आर्थिक अनुदान सहायता.						
8. बुनकरों / हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता.						
9. अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता.						
10. बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता.						
11. प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली अन्य सहायता.						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	12. कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता.					
	13. बैलगाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता.					
4.12	बंटवारा के आदेश के पश्चात् नक्शों में बटांकन / तरमीम तथा तरमीम पश्चात् अक्स नक्शा ए-4 साईज के कागज पर आवेदक को प्रदाय.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार. (अपनी अपनी अधिकारिता में)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.13	भूमि का सीमांकन करना.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार. (अपनी अपनी अधिकारिता में)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.14	अविवादित नामांतरण करना.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार. (अपनी अपनी अधिकारिता में)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4.15	अविवादित बंटवारा करना.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार. (अपनी अपनी अधिकारिता में)	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण क्रमांक 191, भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मई 2015—वैशाख 28, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-4—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्र. एफ-308-05-01-2010, दिनांक 10 अप्रैल 2013 में राजस्व विभाग से संबंधित सेवा को विलोपित करते हुए राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेव्राएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत राजस्व विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1	राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-छः क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
4.6	वन्यप्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों में)	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	30 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
	अ. (रु. 30 हजार तक के प्रकरण).					
	ब. (रु. 50 हजार तक के प्रकरण).	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
	स. (रु. 2 लाख तक के प्रकरण).	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस.	सचिव, राजस्व
4.11	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत निम्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाना.	(अ) तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	30 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता.	(30 हजार रुपये तक).	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त	
2. पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिये आर्थिक सहायता.	(ब) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. (रुपये 50 हजार तक).	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस.	सचिव, राजस्व	
3. नष्ट हुए मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता.						
4. कपड़ों, बर्तनों एवं खाद्यान्न की क्षति के लिये आर्थिक अनुदान सहायता.	(स) कलेक्टर, (रुपये 2 लाख के प्रकरण).					
5. लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिये सहायता.						
6. मृत पशुओं के निवर्तन की व्यवस्था.						
7. कुम्हार के भट्टे में ईट तथा खपरे बरबाद होने पर आर्थिक अनुदान सहायता.						
8. बुनकरों/हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता.						
9. अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता.						
10. बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता.						
11. प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली अन्य सहायता.						
12. कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता.						
13. बैलगाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता.						
14. भूस्खलन अथवा नदियों द्वारा रास्ता बदलने से लघु एवं सीमांत कृषकों की भूमि हानि (दिनांक 25 जून 2013 से प्रभावशील).						

मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण) क्रमांक 215, भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 मई 2014—ज्येष्ठ 5, शक 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2014

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-04.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए, राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
राजस्व विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.15	अविवादित बंटवारा करना.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	90 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-14.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.1	लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना.	बाल विकास परियोजना अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण क्रमांक 440, भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2016—कार्तिक 5, शक 1938

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

क्र. एफ. 2-10-2016-61-लोसेप्र.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राजस्व विभाग की सेवा उपलब्ध करवाई जाने वाले सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिष्ठापित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 03 के तहत राजस्व विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय प्राधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.16	म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के द्वितीय एवं तृतीय परंतुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त, संहिता की धारा 59 के अंतर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाना.	अनुविभागीय अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, सचिव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

(01-10-2015 से 30-9-2016)

मध्यप्रदेश राज्य :

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 01-11-1956 को मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ जिसमें :—

1. पूर्व मध्यप्रदेश का महाकौशल क्षेत्र
2. मध्यभारत
3. विन्ध्यप्रदेश
4. भोपाल तथा
5. राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र

सम्मिलित किये गये राज्य के गठन के पहले इन इकाईयों में भूमि तथा भूमि विवादों से संबंधित विभिन्न प्रकार के नून / अधिनियम लागू थे जिन्हें लोप किया जाकर दिनांक 02-10-1959 से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 को लागू किया गया।

वर्तमान में मध्यप्रदेश में राजस्व से संबंधित इकाईयां इस प्रकार हैं:—

संभाग

जिले

- | | |
|--------------|--|
| 1. ग्वालियर | ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर |
| 2. चम्बल | भिण्ड, मुरैना और श्योपुर |
| 3. इन्दौर | इन्दौर, धार, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा एवं बुरहानपुर |
| 4. उज्जैन | उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, और आगर. |
| 5. भोपाल | भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा |
| 6. होशंगाबाद | होशंगाबाद, हरदा, बैतूल |
| 7. सागर | सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ |
| 8. रीवा | रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना |
| 9. जबलपुर | जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, डिण्डौरी और बालाघाट, |
| 10. शहडोल | शहडोल, अनूपपुर, उमरिया. |

संभागों में कमिश्नर राजस्व तथा भूमि से संबंधित विवादों के कार्यों को देखते हैं। उनकी सहायता के लिये अतिरिक्त कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में कलेक्टर रहता है जिसकी सहायता के लिये अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार इत्यादि पदस्थ रहते हैं। ये सभी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 11 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी परिभाषित किये गये हैं और इन्हें राजस्व न्यायालयों की शक्तियां दी गई हैं।

राजस्व मण्डल पृष्ठ भूमि एवं गठन :

मध्यप्रदेश राज्य के गठन के पहले मध्यप्रान्त तथा बरार, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश क्षेत्रों में राजस्व मण्डल कार्यरत था कि भोपाल में राजस्व मण्डल जैसी संस्था नहीं थी। इन सभी क्षेत्रों में स्थापित राजस्व मण्डलों को 1-11-1956 के अधिनियम गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एकीकृत करते हुए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये एक राजस्व मण्डल की स्थापना की गई तथा इसकी मुख्यपीठ ग्वालियर में रखी गई। राजस्व मण्डल द्वारा मुख्यपीठ के अतिरिक्त भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर एवं सागर में संभागीय मुख्यालयों पर सर्किट कोर्ट लगाए जाते हैं, जहां संबंधित क्षेत्रों के प्रकरणों की सुनवाई की जाकर उनका निराकरण किया जाता है।

स्वतंत्र व निष्पक्ष :

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 3 के अंतर्गत राजस्व मण्डल का गठन किया गया है जिसके अनुसार मण्डल में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त दो या अधिक सदस्य रहते हैं। मंडल के अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव स्तर के तथा प्रशासनिक सदस्य व सभी अन्य सदस्य सुपर टाइम स्केल अथवा इससे ऊपर के अधिकारी रहते हैं। इनमें वरिष्ठतम अधिकारी प्रशासनिक सदस्य होता है। न्यायिक व्यवस्था को निष्पक्ष व शासन-तंत्र से स्वतंत्र रखने की दृष्टि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व न्यायाधीशों के समान मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य उपलब्धियां राज्य की संचित निधि में भारित रूप में रखी गई हैं।

कर्तव्य एवं शक्तियां :

मंडल को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :—

राजस्व मंडल मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी है। इसके अतिरिक्त मण्डल को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत निम्न अधिकार प्रदत्त किये गये हैं।

1. धारा 8 के अंतर्गत अधीक्षण की शक्तियां
2. धारा 9 तथा 41 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्तियां
3. धारा 29 (1) के अंतर्गत मामलों के अंतरण की शक्ति
4. धारा 44 के अधीन अपीलें सुनने की शक्ति
5. धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण (निगरानी) की शक्ति
6. धारा 51 के अंतर्गत पुनरावलोकन की शक्ति
7. धारा 262 (3) के अंतर्गत राज्य शासन की शक्तियां।

मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी के रूप में मण्डल की हैसियत से मण्डल निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करता है :—

1. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 62 (2) अंतर्गत बने अपील नियमों के नियम 2 तथा 7 के अधीन पुनरीक्षण एवं अपील के अधिकार।
2. मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अध्याय 6 के अधीन मुख्य नियंत्रक, प्राधिकारी की शक्तियां।
3. मध्यप्रदेश कोर्ट ऑफ बार्डस एक्ट, 1899 की धारा 12 (2) तथा 15 के अधीन आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार राजस्व मण्डल को दिये गये हैं।
4. मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 4(3) तथा 41 के अंतर्गत राजस्व मण्डल को अपीलीय अधिकार दिए गये हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 42 के अधीन मण्डल को पुनरीक्षण के अधिकार भी प्राप्त हैं।

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को विशेषाधिकार :

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अलावा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 4-1/96/1/9 भोपाल, दिनांक 27 मार्च 1996 द्वारा राज्य शासन ने अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को मध्यप्रदेश के कमिश्नरों, कलेक्टरों एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के निरीक्षण करने के अधिकार दिए हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश लोक न्याय अधिनियम, 1951 की धारा 4 (5) के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को “पदाधिकारी” नियुक्त किया गया है।

मण्डल का सचिवालय :

प्रशासनिक सहायता तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से मण्डल का एक कार्यालय है जिसमें एक सचिव (आई. ए. एस. संवर्ग के अधिकारी) हैं। उनकी सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं:—

अवर सचिव	2
अनुभाग अधिकारी	2
सहायक अनुभाग अधिकारी	2
स्टॉफ ऑफिसर	1
लेखाधिकारी	1

इसके अतिरिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्य पद भी स्वीकृत हैं। वर्तमान में मण्डल में कुल 109 पदों के विरुद्ध कुल 70 कर्मचारी कार्यरत हैं।

मण्डल के कार्य/उपलब्धि :

1. राजस्व मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के अंतर्गत अधीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों को प्रभावी स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से मण्डल द्वारा पुरानी "लीक" से हटकर कुछ ठोस प्रयोग किये गये हैं जिनके परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं।
2. राजस्व मण्डल का मुख्यालय (मुख्यपीठ) ग्वालियर में है। वर्तमान में मण्डल में अध्यक्ष सहित चार पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय हैं। इन न्यायालयों में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के आठ जिलों के प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय पर की जाती है। जन सामान्य को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दृष्टि से प्रदेश के अन्य संभागों के 43 जिलों के प्रकरणों की सुनवाई हेतु मुख्यालय के अतिरिक्त राज्य के छः संभागीय मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा एवं सागर पर सर्किट कोर्ट की व्यवस्था की गई है। यह प्रयास किया गया है कि मण्डल से संबंधित सदस्य / सदस्यगण नियमित रूप से उनके द्वारा निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार सर्किट पर प्रकरणों की सुनवाई करें। इससे जहां एक ओर संबंधित क्षेत्र की जनता को आने जाने में होने वाली असुविधा एवं खर्च से बचाया जा सका है वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की समस्याओं विशेषकर राजस्व प्रशासन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी भी मण्डल को मिलती रही है जिनके निराकरण के लिए यथासमय आवश्यक कदम उठाये गये हैं।
3. इसके अतिरिक्त अभिभाषकगण एवं पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय में दायर प्रकरणों को कम्प्यूटाइज्ड किये जाने का कार्य किया जा रहा है, उक्त कार्य से अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी तथा निराकृत प्रकरणों की जानकारी भी ऑनलाईन उपलब्ध हो पा रही है, साथ ही प्रकरण में हुए आदेश की प्रति भी ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरणों में पारित आदेशों की नकल भी पक्षकारों को ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे नकल आदि पक्षकारों को त्वरित गति से प्राप्त हो रही है।
4. राजस्व मण्डल को अपनी विशिष्ट उपलब्धियों एवं कार्यालयीन/न्यायालयीन रख-रखाव हेतु ISO 9001:2008 का सर्टिफिकेट भी प्रदाय किया गया है।
5. अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में माह के प्रथम मंगलवार को समस्त पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर न्यायालयीन एवं कार्यालयीन कार्यों की प्रगति संबंधी समीक्षा की जाती है, जिससे न्यायालयीन एवं कार्यालयीन कार्य सुचारू रूप से एवं त्वरित गति से संपादित हो रहे हैं।
6. राजस्व मण्डल द्वारा राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के प्रकरणों के निराकरण में जहां एक ओर यह प्रयास किये गये हैं कि मण्डल के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी द्वारा माह में कम से कम 60 एवं इससे अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाये वहीं दूसरी ओर प्रकरणों में पारित आदेशों की गुणवत्ता में भी सुधार हो, क्योंकि राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरणों में पारित आदेश/निर्णय अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के कार्य निष्पादन में दलीलों के रूप में कानूनी व्याख्या में सहायक होते हैं। इसी उद्देश्य से राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकरणों की सुनवाई युगल पीठ या पूर्ण पीठ द्वारा करने का प्रावधान है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर में न्यायिक प्रकरणों का संस्थान एवं निर्णय दर्शाने वाला माह अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 की स्थिति दर्शाने वाला वार्षिक पत्रक.

वर्ष 2015-2016

क्र.	01 अक्टूबर 2015 को प्रारंभिक विचाराधीन प्रकरणों की संख्या.	01 अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016 तक दायर प्रकरणों का योग.	01 अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016 तक कुल प्रकरणों का योग.	01 अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016 तक कुल निर्णित प्रकरण.	30 सितम्बर 2016 के अंत में शेष प्रकरणों की संख्या.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	11480	4772	16252	5200	11052

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

वित्तीय वर्ष 2016-2017

बजट का प्रावधान

व्यय (आंकड़े हजार रुपये में)
31-01-2017 तक

मतदेय :— 6,83,71 3,06,34

भारित :— 1,75,10 81,00

योग राजस्व मण्डल :

मतदेय :— 6,83,71 3,06,34

भारित :— 1,75,10 81,00

हस्ता./-

लेखा अधिकारी

वास्ते-सचिव, राजस्व मंडल

मध्यप्रदेश, ग्वालियर

कोषालय कोड नं. 1410702001

दूरभाष क्र. 2452741

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

दिनांक 30-9-2016 की स्थिति में

क्र. (1)	पदनाम (2)	स्वीकृत पद (3)	स्थाई पद (4)	अस्थाई पद (5)	भरे पद (6)	रिक्त पद (7)
1.	सहायक ग्रेड-1	10	08	02	08	02
2.	सहायक ग्रेड-2	18	18	0	10	08
3.	सहायक ग्रेड-3	12	12	0	07	05
4.	ग्रंथपाल	01	0	01	0	01
5.	वरिष्ठ निज सहायक	03	03	0	03	0
6.	निज सहायक	10	09	01	02	08
7.	शीघ्रलेखक	03	02	01	01	02
8.	स्टेनो टायपिस्ट	05	05	0	02	03
9.	वाहन चालक	07	0	07	04	03
10.	दफ्तरी	01	01	0	01	0
11.	जमादार	07	07	0	06	01
12.	रिकॉर्ड लिफ्टर	01	01	0	01	0
13.	भृत्य	31	28	03	25	06
14.	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी	-	0	0	01	0
कुल योग . .		109	94	15	70	40

हस्ता./-

उप सचिव,

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण) क्रमांक 291, भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2016—आषाढ़ 28, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्र. एफ-1-02-2016-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में अनुक्रमांक “अट्ठाईस—पुनर्वास” का लोप किया जाए ,
2. अनुसूची में,—
 - (क) शीर्षक “अट्ठाईस—पुनर्वास विभाग” और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए ,
 - (ख) शीर्षक “सात—राजस्व विभाग” के अधीन,—

(एक) भाग (अ), “पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परीक्षण (मानीटरिंग) सम्मिलित करते हुए मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम, 1984 का क्रियान्वयन विभिन्न अधिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जा रही गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परीक्षण नगरीय महायोजनाओं (मास्टर प्लान) और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन को छोड़कर विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय” में, अनुक्रमांक 49 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

- “50. भारत और पाकिस्तान डोमीनियमों के स्थापित होने के कारण अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित हुए व्यक्तियों तथा बाद के प्रवासियों की सहायता और पुनर्वास.
51. तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास से संबंधित समस्त कार्य.
52. कर्मचारी और संगठन.
53. शिविर भूमियां.
54. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को तथा बर्मा, यूगेन्डा, जैरी, श्रीलंका इत्यादि से आए प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को पुनः बसाने की योजनाएं.
55. जिला पुनर्वास समितियां.
56. वित्तीय विषय.
57. विधि द्वारा घोषित निष्क्राम्य संपत्ति (कृषि भूमि सहित) की अभिरक्षा, प्रबंध और निवर्तन.
58. स्थायी दायित्व गृह, माना के प्रशासन से संबंधित विषय.

(दो) भाग (आ) “विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम” में, अनुक्रमांक 20 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

- “21. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44).

22. निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951का 64).
 23. निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31).
 24. मध्यप्रदेश रिसेटलमेंट एण्ड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (हाऊस बिल्डिंग मटेरियल एक्वीजिशन) एक्ट, 1949 (क्रमांक 43 सन् 1949).
 25. मध्यप्रदेश परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्ति (पुनःस्थापन) अधिनियम, 1985, (क्रमांक 9 सन् 1985).
- (तीन) भाग (इ) "विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय" में, अनुक्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—
8. पुनर्वास आयुक्त.
 9. परियोजना कार्यालय.
- (चार) भाग (उ) "ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय" में, "कुछ नहीं" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"सीमेन्ट कांक्रीट फैब्रिकेशन यूनिट से संबंधित सभी विषय."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कांतिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्र. एफ-1-02-2016-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-02-2016-एक-(1), दिनांक 19 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कांतिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th July 2016

No. F-1-02-2016-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules.—

1. In rule 2.—serial number "XXVIII—Rehabilitation" shall be omitted.
2. In the Schedule.—
 - (a) The heading "XXVIII-Rehabilitation Department" and entries relating thereto shall be omitted.
 - (b) Under the heading "VII—Revenue Department".—
 - (i) In part (A), Matters of policy dealt within the Department except implementation of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya

Jana) Adhiniyam, 1984 including monitoring the progress of distribution of lease documents Progress of slum clearance and improvement schemes under implementation by various agencies, consequential amendment of Urban Master Plans and any other activities relating thereto, after serial number 49 the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

- “50. Relief and rehabilitation of persons displaced from their original places of residence by reason of the setting up of the dominions of India and Pakistan and subsequent migrants.
 51. All work relating to rehabilitation of Tibetan Refugees.
 52. Staff and organisation.
 53. Camping grounds.
 54. Resettlement schemes for DPS. From erstwhile East Pakistan and West Pakistan and Papatriates from Burma, Uganda, Zaire, Sri Lanka etc.
 55. District Rehabilitation committees.
 56. Financial matters.
 57. Custody management and disposal of property (including Agricultural land) declared by Law to be Evacuee property.
 58. Matters regarding the administration of Permanent Liability Homes, Mana.”.
- (ii) In part (B), after serial number 20, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—
- “21. Dispalced Persons(Compensation and Rehabilitation Act, 1954 (44 of 1954).
 22. Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (64 of 1951).
 23. Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950).
 24. The Madhya Pradesh Resettlement and Rehabilitation of Displaced Persons (House Building Material Acquisition) Act, 1949 (43 of 1949).
 25. The Madhya Pradesh Pariyojna Ke Karan Visthapit Vyakti (Punhsthapan) Adhiniyam, 1985 (9 of 1985).”.
- (iii) In part (C), after serial number 7, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—
- “8. Rehabilitation Commissioner.
 9. project Offices.”.
- (iv) In Part (E), for the word “Nil”, the following entries shall be substituted, namely:—
- “All maters relating to Cement Concrete Fabrication Units.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

K. K. KATIYA, Addl. Secy.

